तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 08/2019** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम विक्रम सिंह/पुखसिंह**

07-01-2020

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 13.09.2019 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा दुरूपयोग पर रोकथाम के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने अप्रार्थी विक्रम सिंह/पुखसिंह 18/209 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड हाल बंशीलालजी भाटी का बाड़ानुमा जोधपुर का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से अन्य सिलेण्डर को भरने में काम में लिये जा रहे 1 एच0 पी0 गैस सिलेण्डर, एक इलेक्ट्रीक मोटर दो मुहों वाली मय प्रेशर रेगेलेटर तथा एक कांटा 100 किलोग्राम क्षमता वाला पाया गया। उक्त सामाग्री को जब्त किया जाकर सुनील उपाध्याय सुशील गैस बी0 पी0 एल0 एल0 कम्मनी (व्यवस्थापक) को 10,000 रूपये अमानत पर सक्षम न्यायालय के अग्रिम आदेश तक गोदाम में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया गया।

क्रं. स.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का वजन	भरे सिलेण्डर का वजन
1.	टी0 एस0 333111 आर0 एल0 एस0	एच0 पी0	14.2	29.5
2.	एक इलेक्ट्रीक मोटर दो मुहों वाली मय प्रेशर रेगेलेटर	लोकल मैक		
3.	एक कांटा 100 किलोग्राम क्षमता	लोकल मैक		

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया। अप्रार्थी दिनांक 03.01.2020 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा मौखिक में कहा कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई

	जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। एक इलेक्ट्रीक मोटर दो मुहों वाली मय प्रेशर रेगेलेटर तथा एक कांटा 100 किलोग्राम क्षमता वाले को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.02.11 15:31:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: